न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/20/2019
प्रवेश तिथि 26.03.19

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री तारेश मिश्रा निवासी–60, सुन्दर नगर, गणेशम् मैरिज गार्डन के पीछे, मांग्याबास रोड, रजत पथ के सामने, मानसरोवर, जयपुर		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 03.04.19

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 14.02.19 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जिला कलक्टर, अलवर कार्यालय के पत्रांकः 8505 दिनांकः 14.09.18 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत सूचना की वांछा की गई थी।
4. अपीलार्थी को उक्त आवेदन दिनांकः 14.02.19 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने के कारण इस कार्यालय को उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित कर सुनवाई हेतु उपस्थित होने हेतु लिखा गया।
6. उभय पक्ष सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांकः विविध/आरटीआई/2019/134–35 दिनांकः 27.03.19 के माध्यम से नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रत्यर्थी की ओर से प्रेषित अपीलोत्तर का परीक्षण किया।
8. अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 14.02.19 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग से जिला कलक्टर, अलवर कार्यालय के पत्रांकः 8505 दिनांकः 14.09.18 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत सूचना चाही गई जो **प्रश्नात्मक सूचना की श्रेणी में नहीं है।** प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः 109 दिनांकः 06.03.19 के माध्यम से अपीलार्थी के आवेदन दिनांकः 14.02.19 के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार कठूमर से रिपोर्ट प्राप्त कर विनिश्चय करते हुए सूचित किया है जो अपीलार्थी के अपील प्रा0पत्र दिनांकः 15.03.19 के अनुसार अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुआ है।
9. उक्त आलोक में प्रथम अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी सूचना व पूर्व प्रेषित सूचना निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर पंजीकृत–पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 10 दिवस में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित ।

(रामचरण शर्मा)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)